




# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-51/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
04.07.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि <u>30.7.18</u> को निर्धारित की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख <u>30.7.18</u> को उपस्थापित करें।</p> <div style="text-align: right;">                       4.7.18                      भूमि सुधार उपसमाहर्ता                      पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।                 </div>	
30.07.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 842, दिनांक 25.07.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.07.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री राजेन्द्र महतो, पिता-स्व० अंगद महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.) ग्राम+पो०-जामिद, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-जामिद, थाना नं०-98, खाता नं०-89, प्लॉट नं०-573, रकवा 0.09 ए०, क्रेता श्री वीरेन्द्र महतो, पिता-श्री शंकर महतो, ग्राम+पो०-जामिद, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्री राजेन्द्र महतो, पिता-स्व० अंगद महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.) ग्राम+पो०-जामिद, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम चाईबासा के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता का दोनों का जाति कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), समुदाय के सदस्य हैं।</p> <p>विक्रेता उक्त वर्णित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 2.51 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री वीरेन्द्र महतो, पिता-श्री शंकर महतो, ग्राम+पो०-जामिद, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये।</p> <p>लेखापित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">                       30.7.18                      भूमि सुधार उपसमाहर्ता                      पोड़ाहाट, चक्रधरपुर                 </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">                       30.7.18                      भूमि सुधार उपसमाहर्ता                      पोड़ाहाट, चक्रधरपुर                 </div> </div>	